भारत सरकार और
जिबूती सरकार के बीच
हवाई सेवा समझौता

भारत सरकार और जिबूती सरकार, जिन्हें आगे “संविदाकारी पक्ष” कहा गया है;

दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोले गए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के पक्षकार होते हुए,

नागर विमानन के क्षेत्र में अपने पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हुए, और अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच हवाई सेवाएँ स्थापित करने के उद्देश्य से एक समझौता करने की इच्छा रखते हुए, निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

परिभाषाएँ

इस समझौते के प्रयोजन के लिए, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "वैमानिक प्राधिकारी" से भारत के मामले में महानिदेशक, नागर विमानन और जिबूती के मामले में महानिदेशक, नागर विमानन या दोनों मामलों में उक्त प्राधिकारियों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति या निकाय अभिप्रेत है;

(ख) "अभिसमय" से दिनांक 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर के लिए खोला गया अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय अभिप्रेत है और इसमें उस अभिसमय के अनुच्छेद 90 के अधीन अपनाया गया कोई अनुलग्नक तथा अनुच्छेद 94 या 90 के अधीन अभिसमय या उसके अनुलग्नकों में किया गया कोई संशोधन शामिल है, जहाँ तक ऐसे अनुलग्नक और संशोधन दोनों संविदाकारी पक्षों के लिए प्रभावी हो गए हैं;

(ग) "नामित एयरलाइन" से ऐसी एयरलाइन अभिप्रेत है जिसे इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार नामित और अधिकृत किया गया है;

(घ) किसी राज्य के संबंध में "राज्यक्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो अभिसमय के अनुच्छेद 2 में दिया गया है;

(ङ) "हवाई सेवा", "अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा", "एयरलाइन" और "गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु स्टॉप" के वही अर्थ होंगे जो अभिसमय के अनुच्छेद 96 में क्रमशः दिए गए हैं;

(च) "यह समझौता" से इसके साथ संलग्न अनुलग्नक तथा इस समझौते में किए गए संशोधन अभिप्रेत हैं; और

(छ) "उपयोगकर्ता प्रभार" से एयरलाइनों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हवाईअड्डे की संपत्ति या सुविधाएँ अथवा हवाई दिक्चालन सुविधाएँ, जिनमें विमान, उनके चालक दल, यात्रियों और कार्गो के लिए संबंधित सेवाएँ और सुविधाएँ शामिल हैं, उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया प्रभार अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 2

अधिकार प्रदान करना

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को इस समझौते में निर्दिष्ट अधिकार प्रदान करता है, ताकि इस समझौते से संलग्न अनुसूची के संबंधित खंड में निर्दिष्ट मार्गों पर अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ स्थापित की जा सकें। ऐसी सेवाओं और मार्गों को आगे क्रमशः "सहमत सेवाएँ" और "विनिर्दिष्ट मार्ग" कहा जाएगा।

(2) इस समझौते के उपबंधों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइनों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

(क) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के ऊपर से बिना लैंडिंग किए उड़ान भरने का;

(ख) दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में गैर-यातायात प्रयोजनों हेतु स्टॉप का; और

(ग) विनिर्दिष्ट मार्ग पर सहमत सेवा संचालित करते समय, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को इस समझौते की अनुसूची में उस मार्ग के लिए निर्दिष्ट बिंदु/बिंदुओं पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में यात्रियों

और माल, जिसमें डाक भी शामिल है, के अंतर्राष्ट्रीय यातायात को अलग-अलग या संयुक्त रूप से आरोहण और अवरोहण का अधिकार भी होगा।

(3) इस समझौते के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ (3) और (4) के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वे एयरलाइन, जिन्हें इस समझौते के अनुच्छेद 3 के अधीन नामित नहीं किया गया है, भी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकारों का उपभोग करेंगे।

(4) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) की कोई बात एक संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) को दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के किसी अन्य बिंदु के लिए नियत यात्रियों और कार्गो, जिसमें डाक भी शामिल है, के बोर्डिंग का विशेषाधिकार प्रदान करने वाली नहीं मानी जाएगी।

अनुच्छेद 3

वायु परिवहन उपक्रमों का नामांकन

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में अधिकतम दो एयरलाइनों को नामित करने का अधिकार होगा, ताकि वे विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएँ परिचालित कर सकें, तथा ऐसे नामांकन को वापस लेने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार भी होगा।

(2) ऐसे नामांकन की प्राप्ति पर दूसरा संविदाकारी पक्ष, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) और (4) के उपबंधों के अधीन, बिना विलंब के नामित एयरलाइनों को उपयुक्त परिचालन प्राधिकारी प्रदान करेगा।

(3) एक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित किसी वायु परिवहन उपक्रम से यह संतुष्ट होने के लिए कह सकते हैं कि वह अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप उन प्राधिकारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के परिचालन पर सामान्यतः लागू कानूनों और विनियमों के अध्यधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए योग्य है।

(4) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष को पैराग्राफ (2) में उल्लिखित परिचालन प्राधिकारी प्रदान करने से इनकार करने या नामित एयरलाइन द्वारा अनुच्छेद 2(2) में निर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाने का अधिकार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे, यदि वह संतुष्ट नहीं है कि उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उसे नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिकों में निहित है। इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, “पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण” का अर्थ है कि यदि नामित एयरलाइन किसी अन्य देश के एयरलाइन, सरकार या नागरिकों के साथ किसी समझौते (वित्तीय पट्टा समझौतों को छोड़कर) में प्रवेश करके सहमत सेवाएँ परिचालित करता है, तो उसे नामित करने वाला संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिकों को तब तक पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण वाला नहीं माना जाएगा, जब तक कि नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिकों के पास, नामित वायु परिवहन उपक्रम की प्रमुख परिसंपत्तियों के अधिकांश भाग के स्वामित्व के अतिरिक्त, निम्नलिखित भी न हों:

(i) नामित एयरलाइन के प्रबंधन पर प्रभावी नियंत्रण; और

(ii) नामित एयरलाइन के विमानों के बेड़े और उपकरणों के प्रमुख भाग का स्वामित्व तथा प्रभावी नियंत्रण।

(5) जब किसी एयरलाइन को नामित और अधिकृत कर दिया गया हो, तो वह सहमत सेवाओं का परिचालन प्रारंभ कर सकता है, बशर्ते वह इस समझौते के लागू प्रावधानों का अनुपालन करता हो।

अनुच्छेद 3(क)

सहकारी सेवा व्यवस्था

प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नामित वायु परिवहन उपक्रम को दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुमति दी जाएगी कि वह निम्नलिखित के साथ कोड-शेयरिंग और संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं सहित सहकारी सेवाओं की व्यवस्थाओं में प्रवेश करके सहमत सेवाओं का परिचालन या उन्हें होल्ड आउट कर सके:

(क) किसी भी संविदाकारी पक्ष की एयरलाइन; और/या

(ख) किसी तीसरे देश की एयरलाइन, जहाँ दोनों संविदाकारी पक्षों की एयरलाइनें ऐसी व्यवस्थाओं पर सहमत नहीं हो सकते।

बशर्ते कि ऐसी व्यवस्था का प्रत्येक पक्षकार उपयुक्त संचालन प्राधिकार रखता हो और ऐसी व्यवस्थाओं पर सामान्यतः लागू अपेक्षाओं को पूरा करता हो; तथा यह भी बशर्ते कि तीसरे देश की एयरलाइन को शामिल करने वाली व्यवस्थाओं के मामले में ऐसा तीसरा देश दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइन और उस तीसरे देश से उपयुक्त परिचालन प्राधिकारी रखने वाले किसी अन्य एयरलाइन के बीच तुलनीय व्यवस्थाओं को अधिकृत या अनुमति देता हो।

सहकारी सेवाओं की व्यवस्थाओं के अध्यधीन परिचालन के मामले में क्षमता अधिकारों के उपयोग का निर्धारण करने के लिए इसे इस प्रकार माना जाएगा मानो सेवाएँ भाग लेने वाली एयरलाइनों द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिचालित की गई हों।

टिप्पणी: “उपयुक्त प्रचालन प्राधिकार” से मार्ग अधिकार, प्रचालन अधिकार और यातायात अधिकार अभिप्रेत हैं और इसमें सहकारी सेवाओं की व्यवस्थाओं के अधीन सेवाओं को संचालित करने या प्रस्तुत करने का विशेषाधिकार शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 4

परिचालन प्राधिकारी का निरसन या निलंबन

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने पास यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा नामित एयरलाइन को प्रदान किया गया परिचालन प्राधिकार वापस ले या निलंबित करे अथवा अनुच्छेद 2(2) में निर्दिष्ट अधिकारों के प्रयोग पर ऐसी शर्तें लगाए जिन्हें वह आवश्यक समझे,

(क) यदि वह संतुष्ट नहीं है कि उस एयरलाइन का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण उसे नामित करने वाले संविदाकारी पक्ष या उसके नागरिकों में निहित है; या

(ख) यदि वह एयरलाइन उन कानूनों और/या विनियमों का अनुपालन करने में विफल रहता है जो अधिकार प्रदान करने वाले संविदाकारी पक्ष द्वारा सामान्यतः लागू किए जाते हैं; या

(ग) यदि एयरलाइन अन्यथा इस समझौते के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुसार परिचालन करने में विफल रहता है।

(2) जब तक कानूनों और/या विनियमों अथवा इस समझौते के प्रावधानों के आगे उल्लंघन को रोकने के लिए परिचालन प्राधिकारी का तत्काल निरसन या निलंबन अथवा इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित शर्तों का आरोपण आवश्यक न हो, ऐसे अधिकार का प्रयोग दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों से इस समझौते के अनुच्छेद 15 के अनुसार परामर्श के बाद ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 5

उपयोगकर्ता प्रभार

(1) कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों पर ऐसे उपयोगकर्ता प्रभार नहीं लगाएगा या लगाने की अनुमति नहीं देगा जो समान अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ परिचालित करने वाले उसके अपने एयरलाइनों पर लगाए गए प्रभारों से अधिक हों।

(2) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, जहाँ व्यावहारिक हो, अपनी सक्षम प्रभार-लगाने वाले प्राधिकारियों और उन प्रभारों से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करने वाले एयरलाइनों के बीच, उन एयरलाइनों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से, उपयोगकर्ता प्रभारों पर परामर्श को प्रोत्साहित करेगा। उपयोगकर्ता प्रभारों में परिवर्तन के किसी प्रस्ताव की उचित सूचना ऐसे उपयोगकर्ताओं को दी जा सकती है ताकि परिवर्तन किए जाने से पहले वे अपने विचार व्यक्त कर सकें।

अनुच्छेद 6

सीमा शुल्क और प्रक्रियाएँ

(1) किसी भी संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं पर परिचालित विमान, साथ ही उनके नियमित उपकरण, ईंधन और स्नेहक की आपूर्तियाँ तथा विमान भंडार जो पहले से विमान में हैं, ऐसे विमान में लाए गए हैं या चढ़ाए गए हैं और केवल उस विमान द्वारा या उसमें उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं, सभी सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य समान प्रभारों के संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसा व्यवहार प्राप्त करेंगे जो उस दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएँ परिचालित करने वाले अपने एयरलाइनों या सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र के एयरलाइनों को दिए गए व्यवहार से कम अनुकूल नहीं होगा।

(2) इसी प्रकार का व्यवहार किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं में प्रयुक्त विमानों के रखरखाव या मरम्मत के लिए प्रवेश कराए गए स्पेयर पार्ट्स को दिया जाएगा।

(3) कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों को सीमा शुल्क, निरीक्षण शुल्क या समान प्रभार से छूट या रियायत देने के लिए बाध्य नहीं होगा, जब तक कि दूसरा संविदाकारी पक्ष पहले संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों को ऐसे प्रभारों से छूट या रियायत न देता हो।

(4) किसी भी संविदाकारी पक्ष के विमान में रखे गए नियमित विमान उपकरण तथा सामग्री और आपूर्तियाँ दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में केवल उस राज्यक्षेत्र के सीमा शुल्क प्राधिकारियों की स्वीकृति से उतारी जा सकती हैं।

(5) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1), (2) और (4) में उल्लिखित सामग्री को सीमा शुल्क पर्यवेक्षण या नियंत्रण में रखने की अपेक्षा की जा सकती है।

अनुच्छेद 7

प्रतिनिधित्व

(1) एक संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइन को पारस्परिकता के आधार पर दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में सहमत सेवाओं के संचालन के संबंध में आवश्यकतानुसार अपने प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक, संचालन और तकनीकी कर्मचारियों को रखने की अनुमति होगी।

(2) नामित एयरलाइन के विकल्प पर इन कर्मचारियों की आवश्यकता उसके अपने कर्मचारियों द्वारा या दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में संचालित और उस संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में ऐसी सेवाएँ करने के लिए अधिकृत किसी अन्य संगठन, कंपनी या एयरलाइन की सेवाओं का उपयोग करके पूरी की जा सकती है।

(3) प्रतिनिधि और कर्मचारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के प्रवर्तित कानूनों और विनियमों के अध्यधीन होंगे और ऐसे कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप, वह संविदाकारी पक्ष पारस्परिकता के आधार पर और न्यूनतम विलंब के साथ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को आवश्यक कार्य परमिट, रोजगार वीजा या अन्य समान दस्तावेज प्रदान करेगा।

(4) पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर, प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों को अपने राज्यक्षेत्र में सीधे और, अपने विवेकानुसार, अपने एजेंटों के माध्यम से वायु परिवहन की बिक्री करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक नामित एयरलाइन को बिक्री करने का अधिकार होगा और कोई भी व्यक्ति स्थानीय मुद्रा या किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय अन्य मुद्रा में ऐसा परिवहन खरीदने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुच्छेद 8

कानूनों की प्रयोज्यता

(1) एक संविदाकारी पक्ष के वे कानून और विनियम जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई दिक्चालन में लगे विमानों के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश और उससे प्रस्थान, अथवा ऐसे विमानों के उसके राज्यक्षेत्र में रहते हुए परिचालन और दिक्चालन को नियंत्रित करते हैं, दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइन के विमानों पर लागू होंगे।

(2) एक संविदाकारी पक्ष के वे कानून और विनियम जो यात्रियों, चालक दल और माल, जिसमें डाक भी शामिल है, के उसके राज्यक्षेत्र में प्रवेश, वहाँ ठहरने और वहाँ से प्रस्थान को नियंत्रित करते हैं, जैसे पासपोर्ट, सीमा शुल्क, मुद्रा, स्वास्थ्य और क्वारंटीन से संबंधित कानून और विनियम, दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइन के विमानों द्वारा वहन किए गए यात्रियों, चालक दल, माल और डाक पर उक्त राज्यक्षेत्र में रहते समय लागू होंगे।

(3) कोई भी संविदाकारी पक्ष अपने या किसी अन्य एयरलाइन को दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइन पर समान अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं में लगे होने की स्थिति में अपने सीमा शुल्क, आप्रवासन, क्वारंटीन और समान विनियमों के अनुप्रयोग में कोई वरीयता नहीं देगा।

(4) किसी भी संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से होकर प्रत्यक्ष पारगमन में जाने वाले यात्रियों पर अत्यंत सरल नियंत्रण से अधिक नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा। प्रत्यक्ष पारगमन में सामान और माल सीमा शुल्क तथा अन्य समान करों से मुक्त होंगे।

अनुच्छेद 9

सहमत सेवाओं के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

(1) दोनों संविदाकारी पक्षों के नामित एयरलाइनों को अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के बीच विनिर्दिष्ट मार्गों पर सहमत सेवाएँ परिचालित करने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर होंगे।

(2) सहमत सेवाओं के परिचालन में प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइन दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों के हितों को ध्यान में रखेंगे, ताकि बाद वाले द्वारा उसी मार्ग या उसके किसी भाग पर प्रदान की जाने वाली सेवाएँ अनुचित रूप से प्रभावित न हों।

(3) नामित एयरलाइनों द्वारा सहमत सेवाओं पर उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाली जनता की अनुमानित हवाई परिवहन आवश्यकताओं के साथ निकट संबंध रखेगी।

(4) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में निहित सिद्धांतों के आधार पर, उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों द्वारा संचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच सहमत की जाएगी।

(5) किसी भी संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली क्षमता और/या परिचालित की जाने वाली सेवाओं की आवृत्ति में कोई वृद्धि मुख्यतः संविदाकारी पक्षों के राज्यक्षेत्रों के बीच यातायात की बढ़ी हुई आवश्यकताओं पर आधारित होगी और दोनों वैमानिक प्राधिकारियों के बीच सहमति के अध्यधीन होगी। ऐसी सहमति या समाधान लंबित रहने तक पहले से प्रभावी क्षमता और आवृत्ति अधिकार लागू रहेंगे।

अनुच्छेद 10

परिचालन संबंधी सूचना

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों से सहमत सेवाओं के प्रारंभ होने से कम-से-कम साठ दिन पूर्व, उनके विचार और अनुमोदन के लिए, सेवा के प्रकार और उसकी आवृत्ति, प्रयुक्त किए जाने वाले विमान के प्रकार और उड़ान समय-सारिणी से संबंधित सूचना दाखिल करने की अपेक्षा कर सकते हैं। सहमत सेवाओं के परिचालन में कोई परिवर्तन किए जाने पर ऐसी ही सूचना कम-से-कम 30 दिन पहले दी जाएगी।

(2) नामित एयरलाइन कोई अन्य सूचना भी उपलब्ध कराएँगे जिसकी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को यह संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आवश्यकता हो सकती है कि इस समझौते की अपेक्षाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है।

अनुच्छेद 11

आँकड़ों का प्रावधान

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को, या अपने नामित एयरलाइन (एयरलाइनों) से उपलब्ध कराने को कहकर, प्रत्येक माह सहमत सेवाओं पर उस दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से और उसके लिए वहन किए गए यातायात से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएँगे, जिनमें ऐसे यातायात के चढ़ने और उतरने के बिंदु दर्शाए जाएँगे। ऐसे आँकड़े प्रत्येक माह की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र, किंतु संबंधित माह के बाद 30 दिनों से अधिक नहीं, उपलब्ध कराए जाएँगे।

(2) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी, अनुरोध किए जाने पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारियों को, या अपने नामित एयरलाइनों से उपलब्ध कराने को कहकर, अनुरोध में निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो एक आईएटीए यातायात सीजन से अधिक नहीं होगी, दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र से और उसके लिए वहन किए गए यातायात के वास्तविक उद्गम और गंतव्य से संबंधित आँकड़े उपलब्ध कराएँगे।

अनुच्छेद 12

टैरिफ

(1) निम्नलिखित पैराग्राफों के प्रयोजन के लिए, “टैरिफ” से यात्रियों और माल के परिवहन के लिए भुगतान की जाने वाली कीमतें और वे शर्तें अभिप्रेत हैं जिनके अधीन ये कीमतें लागू होती हैं, जिसमें एजेंसी और अन्य सहायक सेवाओं की कीमतें और शर्तें शामिल हैं, किंतु डाक के परिवहन के लिए पारिश्रमिक और शर्तें शामिल नहीं हैं।

(2) एक संविदाकारी पक्ष के नामित एयरलाइनों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र के लिए या वहाँ से परिवहन के लिए लगाए जाने वाले टैरिफ उचित स्तर पर निर्धारित किए जाएँगे, जिसमें परिचालन की लागत, उचित लाभ और अन्य एयरलाइनों के टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित टैरिफ, यदि संभव हो, दोनों संविदाकारी पक्षों के नामित एयरलाइनों के बीच सहमत किए जाएँगे और जहाँ संभव हो, ऐसा समझौता अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की प्रक्रियाओं का उपयोग करके किया जाएगा।

(4) इस प्रकार सहमत टैरिफ उनके प्रस्तावित लागू होने की तारीख से कम-से-कम नब्बे (90) दिन पहले दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे। विशेष मामलों में, उक्त प्राधिकारियों की सहमति से यह अवधि कम की जा सकती है।

(5) अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया जा सकता है। यदि किसी वैमानिक प्राधिकारी ने इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर अस्वीकृति व्यक्त नहीं की है, तो ऐसे टैरिफ

अनुमोदित माने जाएँगे। यदि पैराग्राफ (4) के अनुसार प्रस्तुत करने की अवधि कम की गई हो, तो वैमानिक प्राधिकारी सहमत हो सकते हैं कि अस्वीकृति सूचित करने की अवधि तीस दिनों से कम होगी।

(6) यदि इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के अनुसार किसी टैरिफ पर सहमति नहीं हो सकती, या पैराग्राफ (5) के अधीन लागू अवधि के दौरान किसी संविदाकारी पक्ष का वैमानिक प्राधिकारी पैराग्राफ (3) के अनुसार सहमत टैरिफ की अस्वीकृति की सूचना दूसरे संविदाकारी पक्ष के वैमानिक प्राधिकारी को देता है, तो दोनों संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी आपसी सहमति से टैरिफ निर्धारित करने का प्रयास करेंगे।

(7) यदि वैमानिक प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (4) के तहत उन्हें प्रस्तुत किसी टैरिफ पर या पैराग्राफ (6) के तहत किसी टैरिफ की स्थापना पर सहमत नहीं हो सकते, तो विवाद का निपटारा इस समझौते के अनुच्छेद 16 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(8) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित टैरिफ तब तक प्रभावी रहेगा जब तक नया टैरिफ निर्धारित नहीं हो जाता। तथापि, इस पैराग्राफ के आधार पर किसी टैरिफ को उसकी अन्यथा समाप्ति की तारीख के बाद बारह (12) महीनों से अधिक समय तक जारी नहीं रखा जाएगा।

अनुच्छेद 13

अर्जित आय का हस्तांतरण

(1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष के नामित वायु परिवहन उपक्रमों को अपने मुख्यालय को पहले संविदाकारी पक्ष के राज्यक्षेत्र में अर्जित प्राप्तियों और व्यय के बीच के अधिशेष को भेजने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे प्रेषण उस संविदाकारी पक्ष के विदेशी मुद्रा विनियमों के अनुसार किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में किए जाएँगे, जिसके राज्यक्षेत्र में राजस्व अर्जित हुआ है।

(2) ऐसे हस्तांतरण मुद्रा भुगतान के लिए आधिकारिक विनिमय दर पर या, जहाँ कोई आधिकारिक विनिमय दर न हो, मुद्रा भुगतान के लिए प्रचलित विदेशी मुद्रा बाजार दरों पर किए जाएँगे।

(3) यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच भुगतान के निपटान को नियंत्रित करने वाली विशेष व्यवस्थाएँ प्रभावी हों, तो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के अधीन निधियों के हस्तांतरण पर ऐसी व्यवस्थाओं के उपबंध लागू होंगे।

अनुच्छेद 14

विमानन सुरक्षा

(1) अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपने अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप, संविदाकारी पक्ष पुनः पुष्टि करते हैं कि गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा की पारस्परिक रक्षा का दायित्व इस समझौते का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपने अधिकारों और दायित्वों की व्यापकता को सीमित किए बिना, संविदाकारी पक्ष विशेष रूप से 14 सितंबर, 1963 को टोक्यो में हस्ताक्षरित विमान पर किए गए अपराधों और कुछ अन्य कृत्यों से संबंधित अभिसमय, 16 दिसंबर, 1970 को हेग में हस्ताक्षरित विमान के गैर-कानूनी अपहरण के दमन संबंधी अभिसमय, 23 सितंबर, 1971 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध

गैर-कानूनी कृत्यों के दमन संबंधी अभिसमय तथा 24 फरवरी, 1988 को मॉन्ट्रियल में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन की सेवा करने वाले हवाई अड्डों पर गैर-कानूनी हिंसक कृत्यों के दमन संबंधी प्रोटोकॉल के उपबंधों के अनुरूप कार्य करेंगे।

(2) संविदाकारी पक्ष अनुरोध किए जाने पर एक-दूसरे को नागरिक विमानों के गैर-कानूनी अपहरण के कृत्यों तथा ऐसे विमानों, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाईअड्डों और हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध अन्य गैर-कानूनी कृत्यों तथा नागर विमानन की सुरक्षा के लिए किसी अन्य खतरे को रोकने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

(3) संविदाकारी पक्ष अपने पारस्परिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय के अनुलग्नकों के रूप में नामित विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप, जहाँ तक ऐसे सुरक्षा उपबंध पक्षकारों पर लागू हों, कार्य करेंगे। वे अपेक्षा करेंगे कि उनके पंजीकरण के विमानों के संचालक या ऐसे विमानों के परिचालक जिनका मुख्य व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास उनके राज्यक्षेत्र में है, तथा उनके राज्यक्षेत्र में हवाईअड्डों के प्रचालक, ऐसे विमानन सुरक्षा प्रावधानों के अनुरूप कार्य करें।

(4) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष सहमत है कि ऐसे विमान संचालकों से दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा उस दूसरे पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश, वहाँ से प्रस्थान या वहाँ रहते समय लागू करने के लिए अपेक्षित उपर्युक्त पैराग्राफ (3) में उल्लिखित विमानन सुरक्षा उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके राज्यक्षेत्र में विमान की सुरक्षा तथा यात्रियों, चालक दल, साथ ले जाए जाने वाले सामान, सामान, माल और विमान भंडार की जाँच तथा उनके विमान में चढ़ने या लोड किए जाने से पहले और उसके दौरान पर्याप्त उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जाएँ। प्रत्येक संविदाकारी पक्ष किसी विशेष खतरे से निपटने के लिए उचित विशेष सुरक्षा उपायों हेतु दूसरे संविदाकारी पक्ष के किसी अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

(5) जब नागरिक विमान के गैर-कानूनी अपहरण की कोई घटना या उसका खतरा अथवा ऐसे विमान, उनके यात्रियों और चालक दल, हवाईअड्डों या हवाई दिक्चालन सुविधाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कोई अन्य गैर-कानूनी कृत्य घटित होता है, तो संविदाकारी पक्ष संचार और अन्य उपयुक्त उपायों को सुगम बनाकर एक-दूसरे की सहायता करेंगे, जिनका उद्देश्य ऐसी घटना या उसके खतरे को शीघ्र और सुरक्षित रूप से समाप्त करना होगा।

(6) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष, जहाँ तक व्यावहारिक हो, ऐसे उपाय करेगा जो आवश्यक समझे जाएँ ताकि उसके राज्यक्षेत्र में भूमि पर मौजूद दूसरे संविदाकारी पक्ष का वह विमान, जो गैर-कानूनी अपहरण या किसी अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्य का शिकार हुआ है, वहीं रोका जाए, जब तक कि चालक दल और यात्रियों के जीवन की रक्षा के सर्वोपरि दायित्व के कारण उसका प्रस्थान आवश्यक न हो। जहाँ तक व्यावहारिक हो, ऐसे उपाय दूसरे संविदाकारी पक्ष के साथ परामर्श के आधार पर किए जाएँगे।

अनुच्छेद 15

परामर्श और संशोधन

(1) कोई भी संविदाकारी पक्ष इस समझौते के कार्यान्वयन, व्याख्या, अनुप्रयोग या संशोधन के संबंध में किसी भी समय परामर्श का अनुरोध कर सकता है। ऐसा परामर्श, जो वैमानिक प्राधिकारियों के बीच हो सकता है और जिसे चर्चा या पत्राचार के माध्यम से किया जा सकता है, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा लिखित अनुरोध प्राप्त किए जाने की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर प्रारंभ होगा।

(2) परामर्श के परिणामस्वरूप इस समझौते में सहमत कोई भी संशोधन राजनयिक नोटों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि किए जाने पर प्रभावी होगा।

(3) तथापि, अनुबंध में निर्दिष्ट मार्गों में संशोधन संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारियों के बीच सीधे समझौते द्वारा किया जा सकता है और उनके द्वारा निर्धारित तारीख को प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 16

विवादों का निपटारा

यदि इस समझौते की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो संविदाकारी पक्षों के वैमानिक प्राधिकारी आपस में वार्ता द्वारा उसे हल करने का प्रयास करेंगे; ऐसा न होने पर विवाद को निपटारे के लिए संविदाकारी पक्षों के पास भेजा जाएगा।

अनुच्छेद 17

बहुपक्षीय अभिसमय

(1) जहाँ तक वे इस समझौते के तहत स्थापित वायु सेवाओं पर लागू होते हैं, अभिसमय के प्रावधान इस समझौते की अवधि के लिए संविदाकारी पक्षों के बीच अपने वर्तमान रूप में प्रभावी रहेंगे, मानो वे समझौते का अभिन्न अंग हों, जब तक कि दोनों संविदाकारी पक्ष अभिसमय में किसी ऐसे संशोधन का अनुसमर्थन न कर दें जो विधिवत प्रभावी हो गया हो; ऐसी स्थिति में संशोधित अभिसमय इस समझौते की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

(2) यदि दोनों संविदाकारी पक्षों के संबंध में कोई सामान्य बहुपक्षीय वायु अभिसमय प्रभावी हो जाता है, तो ऐसे अभिसमय के उपबंध प्रभावी होंगे।

अनुच्छेद 18

निलंबन

कोई भी संविदाकारी पक्ष किसी भी समय दूसरे संविदाकारी पक्ष को लिखित रूप में इस समझौते को निलंबित करने की अपनी इच्छा की सूचना दे सकता है। ऐसी सूचना साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भी दी जाएगी। ऐसी सूचना दिए जाने पर, समझौता दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की तारीख से बारह महीने बाद समाप्त हो जाएगा, जब तक कि इस अवधि की समाप्ति से पहले समझौते द्वारा निलंबन की सूचना वापस न ले ली जाए। दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा प्राप्ति की पावती न दिए जाने की स्थिति में, सूचना को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने के चौदह दिन बाद प्राप्त माना जाएगा।

अनुच्छेद 19

लागू होना

यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख को लागू होगा।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी, जिन्हें अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है, ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में दिनांक 19 मई, 2003 को हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में प्रत्येक की दो मूल प्रतियों में किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। व्याख्या में किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

भारत सरकार की ओर से

जिबूती सरकार की ओर से